प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

फिरौती के लिए अपहरण की घटना का 06 घण्टे में अनावरण

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना रैपुरा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या में संलिप्त 03 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया हैं।

दिनाँक 12.02.2024 को वादिनी श्रीमती मन्जू देवी पत्नी राजधर कस्बा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा 14.50 अपरान्ह थाना रैपुरा में अपने पुत्र सुधांशु उम्र 16 वर्ष के दिनाँक 10.02.2024 को सांयकाल से गायब होने एवं दिनाँक 12.02.024 की प्रातः काल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहृत के पिता श्रीराजधर के मो0न0 7985506716 पर फोन करके सुधांशु के उसके कब्जे में होने की बात कही पुनः लगभग 01 घण्टे पश्चात अपहृत के पिता के फोन पर 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग एवं न देने पर लड़के को जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त धमकी के पश्चात अपहृत के पिता द्वारा स्वयं के बाहर कानपुर में होने के कारण अपनी पत्नी को जरिये फोन उक्त घटना के विषय में जानकारी दी और जाकर थाना रैपुरा में रिपोर्ट करने के लिए कहा। जिसके पश्चात अपहृत की माँ के तहरीर पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 24/024 धारा 364A भादवि0 विरुद्ध मो0न0 9455836625 का कॉलर नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष रैपुरा,प्रभारी निरीक्षक कर्वी व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गए। उक्त टीमों का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक,क्षेत्राधिकारी राजापुर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा किया गया।

उक्त घटना के अनावरण के क्रम में सर्वप्रथम अपहृत के पिता के मो0न0 7985506716 पर फिरौती माँगने में प्रयुक्त मो0नं09455836625 के धारक का विवरण सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी से प्राप्त कर सिम धारक दद्दू पटेल को पूंछताछ के लिए पकडा गया तो उसने बताया कि उक्त सिम मेरे फोन से दो दिवस पूर्व चोरी चला गया था जिसे मैं ढूढ़ रहा हूँ पुनः जब उक्त दद्दू पटेल को फिरौती माँगने वाले अपचारी की कॉल सुनाई गयी तो कॉल करने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर उसकी पहचान विनय पटेल के रुप में की। पुलिस टीम द्वारा विनय पटेल को त्वरित गिरफ्तार करके सम्पूर्ण घटना क्रम का खुलासा हुआ। अभियुक्त विनय पटेल द्वारा बताया गया कि अपहृत के गाँव का की रहने वाला बाल अपचारी एवं प्रिन्स पटेल तथा 01 अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर हमने फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी क्योकि बाल अपचारी द्वारा हमें यह बताया गया कि अपहृत के पिता गुटका व्यवसायी है एवं प्रतिदिन दो-ढाई लाख रुपये कमाते है। इस पर विश्वास करते हुए लालचवस हमने यह घटना कारित की है।

अभियोग पंजीकृत होने के तुरन्त बाद से ही पुलिस व सर्विलांस टीम सर्विलांस की मदद से तत्काल घटना का अनावरण करने में लग गयी। महत्वपूर्ण सूचना व फिरौती मांगने वाले मोबाइल नम्बर की लोकेशन/सीडीआर/कैफ माध्यम से व सर्विलांस की सहायता प्राप्त करते हुए उक्त जघन्य घटना में सम्मलित निम्नलिखित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ।

<u>अभियुक्तों का विवरण-</u> 1. विनय कुमार पुत्र रामसागर पटेल निवासी ग्राम बरौनी तीर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2. प्रिन्स पटेल पुत्र राजकरन निवासी चौखडा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा 3. बाल अपचारी निवासी जनपद चित्रकूट।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद मो0फोन लाल रंग वीवो कम्पनी (मृतक का)
2. 01 अदद रुद्राक्ष की माला(मृतक का)
3. 01 जोडी हवाई चप्पल(मृतक का)
4. 01 अदद मो0फोन 02 सिम लगा जिसमें 01 सिम वोडाफोन नं0 **9455836625** जिससे फिरौती की माँग की गयी।
5. 01 अदद पत्थर खून आलूद बाल लगा
6. गला कसने में प्रयुक्त अभियुक्त विनय कुमार का 01 अदद मफलर काला सफेद रंग

<u>गिरफ्तारी करने वाली एसओजी टीम-</u>

1. निरीक्षक श्री एमपी त्रिपाठी प्रभारी एसओजी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
3. मुख्य आरक्षी साकिर हुसैन
4. मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
5. आरक्षी रोशन सिंह
6. आरक्षी रोहित सिंह
7. आरक्षी आशीष यादव
8. आरक्षी पवन राजपूत

<u>गिरफ्तारी करने वाली थाना रैपुरा टीम-</u>

1. उ0नि0 शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय थानाध्यक्ष रैपुरा
2. आरक्षी नंदलाल राम
3. आरक्षी चालक अजीत यादव

घटना का 06 घण्टे में अनावरण करने वाली थाना रैपुरा टीम व एसओजी/सर्विलांस टीम को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 25 हजार रुपये का पुरुस्कार दिया गया।

2. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तारकियागया

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/019 धारा 307,308,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त त्रियोगी नारायण पुत्र चन्द्रमा तिवारी निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री गंगाचरण व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 195/019 धारा 354,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त श्यामलाल गुप्ता उर्फ मुन्नीलाल पुत्र गुधई गुप्ता निवासी बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में

अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी त्यौहार सब्बे बरात एवं के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।